डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139] रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 जून 2001—अषाढ़ 4, शक 1923

वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-4/2001/वित्त/योजना/269.—छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 1 की उपधारा (3) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा दिनांक 16 मई, 2001 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको वह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

Raipur, the 25th June 2001

NOTIFICATION

No. F-1-4/2001/Finance/planning/269.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam (Sanshodhan) Adhyadesh, 2001 (No. 4 of 2001), the State Government, hereby, appoints the date 16th May, 2001 on which it shall come into force in the whole State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.